संख्या–6 एस० एस०(6)27 / 2022–2576 /

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

कुमार रवीन्द्र, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक– 01 / 6 / 2026.

विषय :– चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना के तहत "मुख्यमंत्री तालाब मात्स्यिकी विकास योजना" हेतु कुल रुपये 1070.80 लाख (दस करोड़ सत्तर लाख अस्सी हजार रुपये) मात्र की लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या–2180, दिनांक–19.05.2025 के क्रम में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना के तहत "मुख्यमंत्री तालाब मात्स्यिकी विकास योजना" हेतु कुल रुपये 1070.80 लाख (दस करोड़ सत्तर लाख अस्सी हजार रुपये) मात्र की लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। योजना की विस्तृत व्यय विवरणी अनुलग्नक–I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX के रूप में संलग्न है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य–राज्य के तालाब जल–सम्पदाओं में पालन– मात्स्यिकी का विवेकपूर्ण उपयोग करते हुए मत्स्य–उत्पादन के विभिन्न श्रृंखलाओं पर योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है ताकि राज्य, "मत्स्य–उत्पादन" के साथ–साथ "मत्स्य–बीज" उत्पादन में भी आत्मनिर्भर हो सके।

3. योजना के सफल क्रियान्वयन से निम्नांकित लाभ होने की संभावना है :–

(i) राज्य मत्स्य एवं बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सकेगा।

(ii) राज्य में पालन मात्स्यिकी हेतु गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज की उपलब्धता में अभिवृद्धि होगी।

(iii) राज्य में सभी वर्गो के कृषकों को मत्स्य पालन को व्यवसाय के रूप में अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

(iv) राज्य में मात्स्यिकी से संबंधित आजीविका तथा स्वरोजगार के नये अवसरों का सृजन होगा।

(v) राज्य के सभी वर्गो के मत्स्य पालकों / कृषकों के वार्षिक आय में अभिवृद्धि के साथ–साथ उनका सामाजिक एवं आर्थिक विकास भी होगा।

4. इस योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में किया जायेगा। योजनान्तर्गत 344.5 एकड़ जलक्षेत्र में उन्नत मत्स्य बीज (27.56 मिलियन मत्स्य अंगुलिका) का

उत्पादन, 705 ट्यूबवेल एवं पंपसेट का अधिष्ठापन एवं310 यांत्रिक एरेटर का अधिष्ठापन प्रस्तावित है।योजनान्तर्गत लगभग 1704 कृषक लाभान्वित होंगे।

5. मुख्यमंत्री तालाब मात्स्यिकी विकास योजनान्तर्गत राज्य के अन्य वर्ग तथा अति पिछड़ी जातियों/अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लाभुकों हेतु निर्धारित इकाई लागत का क्रमशः 50% एवं 70% सब्सिडी पर निम्नलिखित प्रकल्प प्रस्तावित हैं :--

(I) उन्नत मत्स्य बीज उत्पादन।

(II) ट्यूबवेल तथा पम्प सेट अधिष्ठापन।

(III) तालाब मात्स्यिकी हेतु यांत्रिक एरेटर।

अगामी वर्षों में प्रकल्प अवयवों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन हो सकता है।

(I) उन्नत मत्स्य–बीज उत्पादन :–

(i) मत्स्य पालन में वैज्ञानिक तकनीकी के समावेशन से मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में कई गुणा वृद्धि हुई है फिर भी बिहार राज्य राष्ट्रीय औसत से पीछे है। इसी कमी को पूरा करने के लिए इस योजना के तहत मत्स्य बीज उत्पादकों को उन्नत मत्स्य बीज उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी स्वरूप वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है ताकि राज्य के मत्स्य पालकों/मछुआरों को गुणवत्तायुक्त उन्नत मत्स्य बीज की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकें। इस योजना के सफल क्रियान्वयन से अन्य राज्यों पर मत्स्य बीज की आपूर्ति हेतु निर्भरता को कम करने में सहायक होगी।

(ii) मत्स्य–बीज उत्पादन की योजना से निजी/सरकारी तालाब के मालिक/पट्टेदार लाभान्वित होगें। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मत्स्य कृषकों को पारम्परिक मत्स्य पालन से व्यवसायिक मत्स्य पालन की ओर ले जाना है। देशी एवं विदेशी कार्प मछलियों का उन्नत मत्स्य बीज उत्पादन कर किसानों को उपलब्ध कराना है जिससे जहाँ प्रमाणिक मत्स्य बीज उत्पादन सुनिचित हो सकेगी, वही किसानों को उचित मूल्य पर ससमय मत्स्य बीज की उपलब्धता भी सुलभ हो सकेगी।

(iii) योजना के तहत मत्स्य बीज उत्पादक द्वारा अपने/लीज पर लिया गया नर्सरी/रियरिंग तालाबों में औसत 25 ग्राम या इससे अधिक वजन के एडवांस फिंगरलिंग/स्टंटेड फिंगरलिंग/ईयरलिंग आदि का उन्नत बीज तैयार करेंगे जिससे बीज की उपलब्धता लम्बे समय तक सुनिश्चित होगी जिसका संचयन कर मत्स्य पालक कम समय में ही बाजार–योग्य मछली का उत्पादन कर सकेंगे।

(iv) योजना का क्रियान्वयन राज्य के सभी जिलों में की जाएगी।

(v) योजना के तहत मत्स्य बीज उत्पादक अपने/लीज पर लिया गयो नर्सरी/रियरिंग तालाबों में मत्स्य फ्राई (एक लाख प्रति इकाई अर्थात 0.50 एकड़ जलक्षेत्र में) (एक इकाई=0.50 एकड़ जलक्षेत्र) का संचयन कर तीन से चार महीनों के पालन अवधि के पश्चात करीब 40,000 प्रति इकाई अर्थात 0.50 एकड़ जलक्षेत्र में (करीब 25 ग्राम) उन्नत मत्स्य बीज का उत्पादन कर

सकेंगे जिससे लगभग 6.67 हे० जलक्षेत्र में मत्स्य–बीज संचयन के लिए उन्नत मत्स्य–बीज उपलब्ध हो सकेगी।

(vi) योजना में उन्नत बीज उत्पादन हेतु ₹ 1.00 लाख (एक लाख रूपये) / 0.5 एकड़ (प्रति इकाई) की दर से आवर्ती व्यय आंकलित की गयी है (विस्तृत विवरणी अनुलग्नक–IV संलग्न)।

(vii) योजनोन्तर्गत निर्धारित इकाई लागत राशि से अधिक व्यय होने पर अधिकाय राशि का वहन लाभुक के द्वारा स्वंय किया जाएगा।

(viii) एक व्यक्ति / परिवार को अधिकतम एक एकड़ जलक्षेत्र तक के तालाब में मत्स्य बीज उत्पादन के लिए सब्सिडी देय होगा। ग्रुप में एक हे० तक जलक्षेत्र में उन्नत मत्स्य बीज उत्पादन के लिए सब्सिडी देय होगा। इससे अधिक रकवा में बीज उत्पादन का कार्य करने पर भी सब्सिडी की राशि वर्णित सीमा तक ही सीमित रहेगी। स्वलागत से योजना के क्रियान्वयन में इच्छुक लाभार्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।

(ix) जिला मत्स्य पदाधिकारी चयनित उन्नत बीज उत्पादकों की सूची कार्यालय के सूचना पटट्ा एवं अन्य सार्वजनिक जगहों पर प्रदर्शित करेंगें ताकि मत्स्य पालकों को अपने नजदीक के बीज उत्पादक की जानकारी सुलभ हो सकें। योजना के तहत उत्पादित उन्नत मत्स्य बीज (देशी एवं विदेशी कार्प मछली) का मूल्य ₹ 200 (दो सौ रूपये) / किलो एवं ₹ 250 (दो सौ पचास) रूपये / किलो होगा जिसमें मत्स्य बीज का वजन क्रमशः औसत 25 ग्राम एवं 50 ग्राम की होगी।

(x) इस उन्नत मत्स्यबीज उत्पादन योजनान्तर्गत 689 यूनिट अर्थात् 344.50 एकड़ जलक्षेत्र नर्सरी / रियरिंग तालाब में 27.56 मिलियन मत्स्य अंगुलिकाओं का उत्पादन होगा जिससे लगभग 4500 हेक्टेयर जलक्षेत्र तालाबों में मत्स्य बीज की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगा। इसपर कुल 432.30 लाख अनुदान राशि व्यय होने का अनुमान है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन से करीब 689 लाभुक लाभान्वित होंगे।

(II) ट्यूबवेल तथा पम्पसेट अधिष्ठापन :–

निजी / लीज पर ली गई तालाब तथा मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के साथ बन्दोवस्त सरकारी तालाबों पर ट्यूबवेल तथा पम्पसेट अधिष्ठापन–

(i) योजना के तहत मत्स्य पालकों के निजी / लीज (न्यूनतम नौ वर्ष) एकरारनामा (1000 रुपये नन जूडीसीयल स्टांप) पर ली गई भूमि पर नव निर्मित अथवा पूर्व निर्मित तालाबों में सालों भर जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तालाबों के बाँध पर ट्यूबवेल एवं पम्पसेट (समरसेबुल सहित) अधिष्ठापित किया जाएगा।

(ii) राज्य के अधिकांश सरकारी तालाब मत्स्यजीवी सहयोगयाँ के साथ बन्दोवस्त हैं। मत्स्य पालन / जलकृषि के लिए मछुआरे जल की उपलब्धता के लिए वर्षा पर निर्भर हैं, जो अनियमित एवं असमान रूप से होती है। फलस्वरूप मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। राज्य के मत्स्यजीवी सहयोग समितियाँ आर्थिक रूप से काफी कमजोर है। सरकारी

318

तालाब में सालों भर जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य योजनान्तर्गत अति पिछड़ी वर्ग के लिए कर्णांकित "ट्यूबवेल एवं पंपसेट अधिष्ठापन (समरसेबुल सहित) लक्ष्य में मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का भी अच्छादित/लाभान्वित किया जायेगा। अतएव योजनान्तर्गत विधिवत चयनित मत्स्यजीवी सहयोग समितियाँ लाभुक होंगे।

(iii) योजनान्तर्गत मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के साथ अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन अवधि के लिए बन्दोवस्त तालाबों (केवल तालाब) के बाँध पर ट्यूबवेल एवं पंपसेट अधिष्ठापन किया जायेगा।

(iv) प्रति ट्यूबवेल तथा पम्पसेट (समरसेबुल सहित) का इकाई लागत क्रमशः ₹ 80000 (अस्सी हजार) रुपये एवं ₹ 40000 (चालीस हजार) रुपये इकाई लागत निर्धारित है। निर्धारित लागत इकाई से अधिक राशि के व्यय होने पर, अतिरिक्त व्यय राशि का वहन लाभुक के द्वारा स्वयं किया जाएगा।

(v) ट्यूबवेल/पम्प सेट (समरसेबुल सहित) अधिष्ठापन हेतु न्यूनतम 0.25 एकड़ जलक्षेत्र का तालाब होना अनिवार्य होगा तथा पम्पसेट/समरसेबुल अधिकतम 05 एच०पी० क्षमता (समरसेबुल सहित) का डीजल अथवा बिजली चालित होगा। अगर पूर्व से लाभुक के तालाब पर बोरिंग पम्पसेट (समरसेबुल सहित) उपलब्ध हो तो इस योजना से बोरिंग पम्पसेट देय नहीं होगा। परंतु दोनों अवयव में से यदि कोई एक अवयव की कमी होने पर दूसरा अवयव का लाभ देय होगा।

(vi) टयूबवेल, पम्पसेट/समरसेबुल, पाईप, आदि सामग्री आई०एस०आई० मार्का का होगा तथा इन सामग्रियों का क्रय लाभुकों के द्वारा स्वयं किया जाएगा। सब्सिडी भुगतान हेतु लाभुकों के द्वारा क्रय किये गये सामग्रियों का पक्का रसीद (जी०एस०टी० सहित) जिला मत्स्य कार्यालय में समर्पित किया जायेगा। पक्का रसीद में आपूर्ति की गई पम्पसेट/समरसेबुल का कम्पनी का नाम, निर्माण की तिथि, पम्प नम्बर, इंजन नम्बर, आदि उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

(vii) निजी/लीज पर ली गई तालाब के लिए योजना का लाभ हेतु एक व्यक्ति/परिवार को न्यूनतम 0.25 एकड़ जलक्षेत्र से 2.5 एकड़ जलक्षेत्र तक के तालाब पर अधिकतम एक टयूब्वेल तथा एक पम्पसेट/समरसेबुल की अनुमान्यता होगी।एक से ज्यादा बोरिंग एवं पम्पसेट/समरसेबुल अधिष्ठापन के इच्छुक एक व्यक्ति/परिवार/समूह/उद्यमी/हैचरी संचालक आवेदक को 2.5 एकड़ जलक्षेत्र से अधिक तथा 5.0 एकड़ तक जलक्षेत्र के तालाब पर अधिकतम 02 (दो) बोरिंग एवं पम्पसेट/समरसेबुल का लाभ दिये जाने की अनुमान्यता होगी।

(viii) इस योजनान्तर्गत एक मत्स्यजीवी सहयोग समिति को अधिकतम पाँच ट्यूबवेल तथा पाँच पम्पसेट/समरसेबुल अधिष्ठापन पर देय अनुदान (सब्सिडि) राशि का लाभ की अनुमान्यता होगी।

(ix) योजना के तहत ट्यूबवेल तथा पम्पसेट/समरसेबुल अधिष्ठापन हेतु निर्धारित इकाई लागत अथवा वास्तविक मूल्य दोनों में से जो भी न्यूनतम होगा, उसी न्यूनतम राशि के आधार पर भौतिक सत्यापन के उपरांत देय सब्सिडी राशि का निर्धारण किया जायेगा तथा शेष राशि लाभुक के द्वारा अंशदान के रूप में वहन किया जायेगा।

(x) निर्धारित इकाई लागत राशि से अधिक राशि के व्यय होने पर अधिकाय राशि का वहन लाभुक के द्वारा किया जाएगा।

(xi) उपर्युक्त वर्णित ट्यूबवेल एवं पम्पसेट अधिष्ठापन (निजी एवं सरकारी तालाबो पर सहित) योजनान्तर्गत कुल 705 ट्यूबवेल एवं पम्पसेट अधिष्ठापन किया जा सकेगा जिसपर अनुदान स्वस्वरूप 544.20 लाख व्यय होने का अनुमान है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन से कुल 705 लाभुक लाभान्वित होंगे।

(III) तालाब मात्स्यिकी हेतु यांत्रिक एरेटर :–

(i) मात्स्यिकी तकनीकी के सतत विकास से तालाब मात्स्यिकी की उत्पादन एवं उत्पादकत्ता में कई गुणा अभिवृद्धि हुई है। मात्स्यिकी के अर्द्धगहन/गहन पद्धति अपनाई जाने के कारण देश के कई प्रदेशों में कार्प मछलियों की उत्पादकत्ता तालाब मात्स्यिकी से 8 से 10 टन/हे० या इससे अधिक तक पहुँच गई है। इसके लिए आवश्यक है कि पालन पद्धति में तकनीकी समावेशन का समुचित प्रयोग हो। पालन पद्धति में ''यांत्रिक ऍरेटर'' के प्रयोग से सघनता से मत्स्य पालन कर मौजूदा तालाब का उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इसके उपयोग से तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से उत्पादकत्ता में अभिवृद्धि के साथ–साथ पालन अवधि में समय–समय पर उत्पन्न भौतिक रासायनिक खतरों को भी कम किया जा सकता है। इस तरह के लम्बवत् तकनीकी समावेशन से राज्य के मत्स्य पालन को व्यवसायिक स्तर पर ले जाने में मदद होगी। राज्य में प्रगतिशील मत्स्य पालकों/मछुआरों के द्वारा समय–समय पर इसकी माँग की जाती रही है। यह एक नई पहल है जिसे विगत कुछ वर्षों से लागू की गई है जिसका राज्य में सकारात्मक प्रभाव की सूचना प्राप्त हो रही है। इसलिए इसे वर्तमान योजना के तहत राज्य में क्रियान्वयन करने का प्रस्ताव है।

(ii) योजना के क्रियान्वयन से मात्स्यिकी में तकनीकी समावेशन से जहाँ मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकत्ता में अभिवृद्धि होंगी वही मत्स्य पालन को सतत् एवं टिकाऊ बनाने में मदद हो सकेगी।

(iii) तालाब मात्स्यिकी के अर्द्धगहन/गहन पालन पद्धति से मत्स्य उत्पादन किया जा सकेगा जिससे उत्पादन एवं उत्पादकत्ता में अभिवृद्धि होगी। पालन पद्धति में जोखिम न्यूनीकरण में सहायक होगा। रोजगार के नयें अवसर सृजित होंगे तथा किसानों के आय में अभिवृद्धि होगी।

(iv) ''यांत्रिक एरेटर'' (पैडल व्हील) का इकाई लागत ₹ 50000 (पचास हजार रुपये) (अधिकत्तम अधिष्ठापन व्यय सहित) निर्धारित है (विस्तृत विवरणी अनुलग्नक–IV संलग्न)।

(v) योजना के तहत एक लाभुक/परिवार को अधिकतम दो एरेटर/एकड़ की अनुमान्यता होगी। इसके लिए सभी वर्गों के लाभुकों को न्यूनतम 0.40 एकड़ जलक्षेत्र का तालाब होना आवश्यक होगा। गत वर्षों में लाभ लिये गए तालाबों (खाता/खेसरा पर) एवं लाभुक को पुनः इसका लाभ देय नहीं होगा।

(vi) लाभार्थी के द्वारा स्वेच्छा से स्वंय एरेटर की खरीद–राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद (केन्द्र सरकार) अथवा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा सूचिबद्ध (Empanelled) किसी एजेन्सी से की जा सकेगी।

(vii) निर्धारित इकाई लागत राशि से अधिक व्यय होने पर अधिकाय राशि का वहन लाभुक के द्वारा किया जाएगा।

(viii) तकनीकी विशिष्टताः यांत्रिक एरेटर, दो एच0पी0 का (चार पैडल के साथ) "पैडल व्हील" ऍरेटर तालाब मात्स्यिकी के लिए उपर्युक्त है। यह बिजली से संचालित होगा अर्थात् चयनित लाभार्थी के तालाब तक विधुत अथवा Stand by Generator या दोनो की व्यवस्था आवश्यक होगी।

(ix) इस तालाब मात्स्यिकी हेतु यांत्रिक एरेटरयोजनान्तर्गत कुल 310 यांत्रिक एरेटर का अधिष्ठापन किया जा सकेगा जिसपर अनुदान स्वस्वरूप 94.30 लाख व्यय होने का अनुमान है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन से कुल 310 लाभुक लाभान्वित होंगे।

6. इस योजना से सम्बन्धित सामान्य क्रियान्वयन दिशा–निदेश यथा– (i) लाभुकों का चयन, (ii) सूचीबद्ध (empaneled) एजेंसी/आपूर्तिकर्ता से सामग्री की आपूर्ति (iii) सब्सिडी भुगतान, (iv) योजनान्तर्गत निर्मित/अधिष्ठापित अवयवों के बोर्ड पर अंकित की जाने वाली विवरणी एवं (vi) उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता (परिक्षेत्र) में गठित चयन/अनुदान समिति की विवरणी अनुलग्नक–III के रूप में संलग्न है।

7. योजना अंतर्गत विस्तृत व्यय विवरणी एवं अवयववार लक्ष्य अनुलग्नक–I एवं II संलग्न है।

8. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि के अनुसार प्रकल्पवार–जिलावार, भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी अनुलग्नक–VI, VII, VIII एवं IX संलग्न हैं।

9. जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सम्बन्धित मत्स्य पालक विकास अभिकरण की प्रबंधकारिणी समिति को पूरी योजना की जानकारी देंगे। अपरिहार्य कारणों से मत्स्य पालक विकास अभिकरण की प्रबंधकरिणी की बैठक ससमय नहीं होने पर समाहर्त्ता–सह–अध्यक्ष को इस योजना की जानकारी देंगे।

10. इस योजना का लाभ उन्हीं अति पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कृषकों को देय होगा जो गत वर्ष अथवा चालू वित्तीय वर्ष में राज्य योजनान्तर्गत स्वीकृत/कार्यान्वित तालाब मात्स्यिकी विशेष सहायता योजना/पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना के सदृश्य अवयव का लाभ प्राप्त नहीं किये हों।

11. इस योजनान्तर्गत जिलों को आवंटित भौतिक लक्ष्य की उपलब्धि में कतिपय कारणों से कठिनाई परिलक्षित होने की स्थिति में अन्य जिलों के द्वारा भौतिक लक्ष्य की मांग

को दृष्टिपथ में रखते हुए आवश्यकतानुसार अंतर–जिला लक्ष्य का स्थानान्तरण निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना के द्वारा किया जा सकेगा।

12. योजना के कार्यान्वयन एवं राशि निकासी में यदि कोई कठिनाई परिलक्षित होने की स्थिति में आवश्यकतानुसार निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना द्वारा विभागीय प्रधान सचिव/सचिव के अनुमति से दिशा निदेश/अनुदेश जारी किया जा सकेगा।

13. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) होंगे।

14. योजनान्तर्गत स्वीकृति राशि के अनुरूप निदेशक मत्स्य के द्वारा आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा।

15. बजट शीर्ष :–

(क) योजना के तहत अन्य वर्ग एवं अतिपिछड़ी जातियों के लाभुकों के लिए स्वीकृत राशि का व्यय हेतु विकलन माँग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन उप मुख्य शीर्ष–00 –लघु शीर्ष–101 –अंतर्देशीय मछलीपालन, उप शीर्ष–0104 –तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार, विपत्र कोड 02–2405001010104 के तहत विषय शीर्ष–0104.33.01 –सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

(ख) योजना के तहत अनुसूचित जातियों के लाभुकों के लिए स्वीकृत राशि का व्यय हेतु विकलन माँग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789 –अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उप शीर्ष–0101 –मछुआरों की सहायता, विपत्र कोड 02–2405007890101 विषय शीर्ष–0101.33.01 –सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

(ग) योजना के तहत अनुसूचित जनजातियों के लाभुकों के लिए स्वीकृत राशि का व्यय हेतु विकलन मांग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796 –जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उप शीर्ष–0109 –मछुआरों की सहायता, विपत्र कोड 02–2405007960109, विषय शीर्ष–0109. 33.01 –सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

16. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

17. चूकि यह स्कीम एक चालू स्कीम है। इस स्कीम का लागत मूल्य 05.00 करोड़ से अधिक एवं 15.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–12888, दिनांक–03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में स्कीम की स्वीकृति के प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में विभागीय मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)27/2022 के पृष्ठ–99/टि० एवं दिनांक–21.05.2026.

19. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)27/2022 के पृष्ठ–97/टि० तथा डायरी संख्या–237, दिनांक–16.04.2026.

(134)

20. वित्त विभाग के पत्र संख्या–7355, दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

(कुमार [illegible])
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)27/2022 –2576/पटना–15, दिनांक–01/6/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)27/2022 –2576/पटना–15, दिनांक–01/6/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित वित्त विभाग (बजट एवं योजना शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)27/2022 –2576/पटना–15, दिनांक–01/6/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना/सभी संयुक्त मत्स्य निदेशक/सभी उप मत्स्य निदेशक परिक्षेत्र/सहायक निदेशक, पशुपालन, सूचना प्रसार कार्यालय, बिहार, पटना/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)27/2022 –2576/पटना–15, दिनांक–01/6/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित मत्स्य निदेशालय के बजट शाखा/योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)27/2022 –2576/पटना–15, दिनांक–01/6/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभाग के सभी पदाधिकारी/विभागीय योजना शाखा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

313

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)27 / 2022 – 2576 / पटना–15, दिनांक– 01 / 6 / 2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव / विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक–I

वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना के तहत ''मुख्यमंत्री तालाब मात्स्यिकी विकास योजना'' हेतु मांग सं० 02, मुख्य शीर्ष 2405–मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष 00 के तहत विभिन्न मात्स्यिकी विकास की योजनाओं पर होने वाले सम्भावित व्यय एवं विपत्रों के निकासी हेतु प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की विवरणी।

(राशि लाख में)

क्र0	वृहद, मुख्य, लघु, उपशीर्ष एवं विपत्र कोड	श्रेणी (वर्ग)	विषय शीर्ष	योजनान्तर्गत अवयव का नाम	भौतिक लक्ष्य	इकाई लागत	स्वीकृत राशि (लाख में)	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नाम	कोषागार का नाम
1	2		3	4	5	6	7	8	9
(क)	लघुशीर्ष 101 अन्तर्देशीय मछली पालन, उपशीर्ष 0104 तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार, विपत्र कोड– 02.2405001010104	(अन्य वर्ग के लाभुकों के लिए अनुदान 50 प्रतिशत)	0104–33.01 – सब्सिडी	उन्नत मत्स्य बीज उत्पादन (यूनिट) (एक यूनिट=0.5 एकड़)	250	1.00	125.00	निदेशक मत्स्य / सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	कोषागार पदाधिकारी, (सभी)
				ट्यूबवेल एवं पम्पसेट अधिष्ठापन (सं0)	200	1.20	120.00		
				तालाब मात्स्यिकी हेतु यांत्रिक एरेटर (सं0)	142	0.50	35.50		
		(अति पिछड़ी जाति के लाभुको हेतु 70 प्रतिशत)		उन्नत मत्स्य बीज उत्पादन (यूनिट) (एक यूनिट=0.5 एकड़)	300	1.00	210.00		
				ट्यूबवेल एवं पम्पसेट अधिष्ठापन (सं0)	400	1.20	336.00		
				तालाब मात्स्यिकी हेतु यांत्रिक एरेटर (सं0)	140	0.50	49.00		
						योग (क)–	**875.50**		
(ख)	लघुशीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष 0101–मछुआरों की सहायता, विपत्र कोड– 02.2405007890101	(अनुसूचित जातियों के लाभुकों के लिए अनुदान 70 प्रतिशत)	0101–33.01 – सब्सिडी	उन्नत मत्स्य बीज उत्पादन (यूनिट) (एक यूनिट=0.5 एकड़)	112	1.00	78.40		
				ट्यूबवेल एवं पम्पसेट अधिष्ठापन (सं0)	78	1.20	65.52		
				तालाब मात्स्यिकी हेतु यांत्रिक एरेटर (सं0)	19	0.50	6.65		
						योग (ख)–	**150.57**		
(ग)	लघुशीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष–0109–मछुआरों की सहायता, विपत्र कोड– 02.2405007960109	(अनुसूचित जनजातियों के लाभुकों के लिए अनुदान 70 प्रतिशत)	0109–33.01 – सब्सिडी	उन्नत मत्स्य बीज उत्पादन (यूनिट) (एक यूनिटत्र0.5 एकड़)	27	1.00	18.90		
				ट्यूबवेल एवं पम्पसेट अधिष्ठापन (सं0)	27	1.20	22.68		
				तालाब मात्स्यिकी हेतु यांत्रिक एरेटर (सं0)	9	0.50	3.15		
						योग (ग)–	**44.73**		
						महा योग – (क) से (ग) तक–	**1070.80**		

2576
01/6/26

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक–II

वर्ष 2026–27 में राज्य योजना के तहत ''मुख्यमंत्री मात्स्यिकी विकास परियोजना'' विभिन्न मात्स्यिकी विकास की योजनाओं के अवयववार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य।

(राशि लाख में)

राज्य योजना

(अनुदान : अन्य वर्ग–50 प्रतिशत)

(अनुदान : अतिपिछड़ा / मत्स्यजीवी समिति / अनु0 जाति / अनु0जनजाति–70 प्रतिशत)

क्र0	अवयव का नाम	अन्य वर्ग			अति पिछड़ी वर्ग			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			कुल लक्ष्य	
		भौतिक लक्ष्य (सं0 / यू0)	इकाई लागत (लाख में)	स्वीकृत राशि (लाख में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 / यू0)	इकाई लागत (लाख में)	स्वीकृत राशि (लाख में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 / यू0)	इकाई लागत (लाख में)	स्वीकृत राशि (लाख में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 / यू0)	इकाई लागत (लाख में)	स्वीकृत राशि (लाख में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 / यू0)	स्वीकृत राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	उन्नत मत्स्य बीज उत्पादन (यूनिट) (एक यूनिट=0.5 एकड़)	250	1.00	125.00	300	1.00	210.00	112	1.00	78.40	27	1.00	18.90	689.00	432.30
2	ट्यूबवेल एवं पम्पसेट अधिष्ठापन (सं0)	200	1.20	120.00	400	1.20	336.00	78	1.20	65.52	27	1.20	22.68	705.00	544.20
3	तालाब मात्स्यिकी हेतु यांत्रिक एरेटर (सं0)	142	0.50	35.50	140	0.50	49.00	19	0.50	6.65	9	0.50	3.15	310.00	94.30
	योग			**280.50**			**595.00**			**150.57**			**44.73**		**1070.80**

2576
01/6/26

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक–III
सामान्य क्रियान्वयन निदेश

(i) लाभुकों का चयन :–

(क) मत्स्य निदेशालय के द्वारा राज्यस्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन/विभागीय वेबसाईट पर सूचना प्रकाशित कर, विहित प्रपत्र में ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त आवेदन–पत्रों को सम्बन्धित जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा संधारित किया जायेगा। लक्ष्य से कम आवेदन प्राप्त होने पर समीक्षोपरांत मत्स्य निदेशालय स्तर से पोर्टल खोलकर पुनः ऑनलाईन आवेदन–पत्र प्राप्त किया जाएगा। प्राप्त आवेदनों को जाँचोपरांत चालू वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य के अतिरिक्त शेष आवेदन–पत्रों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी जिसका आगामी वित्तीय वर्ष में भी सदृश्य योजना हेतु प्राथमिकता के तहत मान्य किया जाएगा।

(ख) योजनान्तर्गत प्राप्त ऑनलाईन पत्रों का ससमय डाउनलोडिंग, जाँच एवं चयन कर कार्यादेश निर्गत हेतु यह आवश्यक है कि प्राप्त आवेदन पत्रों का प्रतिदिन डाउनलोडिंग, साप्ताहिक जाँच तथा कट–ऑफ तिथि (प्रत्यक माह का अंतिम दिन अथवा समय–समय पर निदेशित) के पश्चात चयन समिति सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ग) त्रुटिपूर्ण आवेदनों के त्रुटि सुधार हेतु सम्बन्धित आवेदकों को एक पक्ष का समय दिया जायेगा। तत्पश्चात, पूर्ण रूप से सभी अनुलग्नकों के साथ प्राप्त/समर्पित आवेदन पत्रों को ही चयन हेतु जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा संकलित किया जायेगा। लाभुक द्वारा उन्नत मत्स्य बीज उत्पादन/ट्यूबवेल एवं पम्पसेट अधिष्ठापन/यांत्रिक एरेटर हेतु आवेदित योजना अवयव के साथ अपना फोटोग्राफ (पोस्टकार्ड साइज में) आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। फोटोग्राफ स्पष्ट लैंड–मार्क/विभेदक–चिन्ह के साथ हो ताकि निरीक्षण के क्रम में सम्बद्ध योजना हेतु प्रस्तावित तालाब की पहचान की जा सकें।

(घ) आवेदन पत्र में लाभुको का मोबाईल नं० तथा बैंक शाखा का नाम, बैंक खाता संख्या, आई०एफ०एस०सी० कोड अंकित किया जाएगा। आधार कार्ड नं०/राशनकार्ड नं०/मतदाता पहचान पत्र/जमीन का नक्शा की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जाएगी।

(ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग के लाभुकों को आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(च) उन्नत मत्स्य बीज उत्पादन योजनान्तर्गत लाभुक को निजी/लीज/पट्टा पर तालाब होना आवश्यक है। तालाब के निजी स्वामित्व हेतु भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र/अद्यतन मालगुजारी रसीद, सरकारी में वैद्ध पट्टा एवं लीज के तालाब में लीज का एकरारनामा (न्यूनतम 11 माह का) आवेदन के साथ संलग्न करना आवयश्क होगा।

निजी/लीज पर ली गई तालाब पर ट्यूबवेल तथा पम्पसेट अधिष्ठापनएवं यांत्रिक एरेटर अधिष्ठापनहेतु निजी/लीज एकरारनामा पर तालाब होना आवश्यक है। निजी भूमि के मामले में स्वामित्व से सम्बन्धित भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र/अद्यतन मालगुजारी रसीद तथा लीज की स्थिति में, लीज से सम्बन्धित एकरारनामा (न्यूनतम नौ वर्ष का 1000 रू0 नन जूडीसीयल स्टांप का एकरारनामा) आवेदन के साथ संलग्न करना आवयश्क होगा।

2576
01/6/26

नन–जूडीसीयल स्टांप पर एकरारनामा के मामले में भू–स्वामी/स्वामियों से भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र/रसीद आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। साथ ही, आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र (नोटरी) समर्पित करना होगा कि उनके द्वारा मत्स्य पालन/बीज उत्पादन के कार्य हेतु सरकारी/निजी/पट्टा पर ली गई तालाब विवाद रहित हैं।

(छ) मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के साथ बन्दोवस्त सरकारी तालाबों पर ट्यूबवेल तथा पम्पसेट अधिष्ठापन योजनान्तर्गत आवेदक (मत्स्यजीवी सहयोग समिति के मंत्री/सचिव) अपने समिति की ओर से विधिवत ऑनलाइन आवेदन–पत्र समर्पित किया जायेगा। आवेदन पत्र में समिति के मंत्री/सचिव अपना मोबाईल नं०, अपना समिति का बैंक शाखा का नाम, बैंक खाता संख्या, आई०एफ०एस०सी० कोड, आवेदित तालाब का खाता, खेसरा, रकवा, जलक्षेत्र, समिति का निबंधन संख्या एवं वर्ष, सदस्यों की संख्या (पुरूष एवं महिला की संख्या सहित) आदि अंकित किया जाएगा। समिति द्वारा आवेदन–पत्र के साथ समिति का निबंधन–प्रमाण पत्र, प्रबंधकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही जिसमें ट्यूबवेल तथा पम्पसेट/समरसेबुल के अधिष्ठापन योजना हेतु तालाब/तालाबों का चयन, प्रश्नगत चयनित तालाब का विवाद–रहित होना, योजना के तहत निर्धारित लाभुक (समिति) अंशदान वहन करना, ट्यूबवेल तथा पम्पसेट/समरसेबुल के अधिष्ठापन के उपरान्त से उसका पाँच वर्षों तक संचालन, प्रबंधन, रख–रखाव, मरम्मति, मरम्मति पर होने वाले व्यय का वहन करना, सुरक्षा आदि सभी की शत–प्रतिशत जिम्मेवारी उक्त समिति की होगी अन्यथा अनुदान राशि की वसूली निर्धारित प्रक्रियानुसार नीलामपत्रवाद दायर कर की जायेगी से सम्बन्धित सर्वसम्मति से लिये गये अनुमोदितनिर्णय की कार्यवाही की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जाएगी। योजनान्तर्गत उक्त अवयव हेतु समिति (लाभुक) के चयनोपरांत समिति द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र भी दायर किया जायेगा।

(ज) चयन समिति से पूर्व सभी सम्भावित लाभूकों को मत्स्य कार्यालय में बुलाकार अंतरविक्षा/चर्चा कर उनकी ससमय योजना क्रियान्वयन की मंशा अवश्य ज्ञात कर ली जाय जिससे चयन के उपरांत योजना का क्रियान्वयन ससमय हो सके। इच्छूक एवं उत्साहित लाभुकों को ही चयन में प्राथमिकता दी जाय।

(झ) लाभुकों का चयन, उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा की जायेगी। लाभुकों का चयन करते समय लाभुक का मत्स्य प्रशिक्षण एवं मत्स्य पालन/मत्स्य बीज उत्पादन/मत्स्य हैचरी के संचालन एवं प्रबंधन में किये गये कार्य/अनुभव को दृष्टिपथ में रख कर चयन किया जाएगा। स्वलागत से योजना के क्रियान्वयन में इच्छुक लाभार्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। इच्छुक मत्स्य हैचरी मालिकों को भी उन्नत मत्स्य–बीज उत्पादन योजना के तहत चयन किया जाएगा। यांत्रिक एरेटर योजना के तहत वैसे मत्स्य पालकों का चयन क्षेत्रीय प्रभारी के अनुशंसा के आधार पर की जाएगी जो हैचरी संचालक को तथा प्रगतिशील मत्स्य पालक को मत्स्य पालन में अर्द्धगहन/गहन पद्धति से मत्स्य पालन हेतु इच्छुक हो तथा कम से कम 03 टन/हे० का मत्स्य उत्पादन ले रहा हो। लाभुक को प्रशिक्षण, तालाब का जलक्षेत्र, जेनेरेटर/विजली की तालाब तक सुविधा एवं पूर्व से तालाब में वैज्ञानिक

2576
01/6/26

308

पद्धति से मत्स्य पालन करते हों जैसे मानदंड के आधार पर समिति, चयन में प्राथमिकत्ता तय करेगी।

(ञ) मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के साथ बन्दोवस्त सरकारी तालाबों पर ट्यूबवेल तथा पम्पसेट अधिष्ठापन योजना के तहत पूर्व में स्वीकृत "मत्स्यजीवी सहयोग समिति के आधारभूत एवं आर्थिक सुदृढ़िकरण योजना" के तहत चयनित बीस मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को (निर्धारित अधिकतम लाभ प्रति समिति तक ही) चयन में प्राथमिकता दी जायेगी। तत्पश्चात, राज्य के शेष निबंधित मत्स्यजीवी सहयोग समितियों द्वारा समर्पित पूर्ण–त्रुटि–रहित आवेदन–पत्रों पर चयन हेतु विचार किया जायेगा। चयन के क्रम, दो या दो से अधिक पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में तथा सभी आवेदक (समिति) आवश्यक आर्हताओं को पूर्ण करते हो, तो ऐसी स्थिति में जिला मत्स्य कार्यालय में विधिवत पहले वांछित त्रुटि–रहित वैध दस्तावेज/कागजात/प्रमाण–पत्र के साथ पूर्ण आवेदन समर्पित करने वाले आवेदक (समिति) का चयन किया जायेगा। त्रुटिपूर्ण आवेदन–पत्रों पर चयन हेतु विचार नहीं किया जायेगा।

(ट) उपर्युक्त वर्णित योजनान्तर्गत अगर दो या दो से अधिक पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में तथा सभी आवेदक आवश्यक आर्हताओं को पूर्ण करते हो, तो ऐसी स्थिति में जिला मत्स्य कार्यालय में विधिवत पहले वांछित त्रुटि–रहित वैध दस्तावेज/कागजात/ प्रमाण–पत्र के साथ पूर्ण आवेदन समर्पित करने वाले आवेदक को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।

(ठ) योजनान्तर्गत विज्ञापन के पश्चात् सभी प्रकल्पों हेतु आवेदन का डाउनलोडिंग प्रतिदिन, साप्ताहिक स्थल जाँच तथा कट ऑफ डेट के पश्चात् चयन समिति की अनुशंसा के उपरांत कार्यादेश निर्गत करना आवश्यक होगा। इस संबंध में गत वर्ष मत्स्य निदेशालय का पत्रांक–18 दिनांक 05.01.2023 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश पूर्ववत लागू रहेगा।

(ii) सूचीबद्ध (empaneled)एजेंसी/आपूर्तिकर्ता से सामग्री की आपूर्ति–

लाभार्थी द्वारा वर्णित कंडिका–5 (I-III)प्रकल्पों के लिए सामग्री आपूर्ति हेतु योजनान्तर्गत भारत सरकार के NFDB, हैदराबाद/मत्स्य प्रभाग द्वारा सूचीबद्ध (empanelled)एजेंसी को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि आपूर्ति की गई विभिन्न सामग्रियों का गुणवत्ता एवं आँकड़ा संबंधी प्रतिवेदन संबंधित जिला मत्स्य कार्यालय/आपूर्तिकर्ता से विभाग को प्राप्त हो सके।

(क) योजनान्तर्गत मत्स्य बीज एवं मत्स्य आहार की प्राप्ति हेतु राज्य में विभिन्न योजनान्तर्गत निर्मित मत्स्य हैचरी एवं फिश फीड मील को प्राथमिकता देना सुनिश्चित करेंगे।

(ख) आपूर्तिकर्ता/एजेंसी से सामग्री के मामला में मत्स्य लाभार्थी एवं आपूर्तिकर्ता के बीच 100 रूपया के स्टॉम्प पेपर पर जिला मत्स्य पदाधिकारी के देख–रेख में एक एकरारनामा सम्पन्न की जाएगी जिसमें आपूर्तिकर्ता (एजेंसी) को ससमय गुणवत्तायुक्त आपूर्ति तथा लाभार्थी के द्वारा भुगतान संबंधी परस्पर हितों को ध्यान में रखा जाएगा।

(ग) एकरारनामा के साथ बकाया (dues) देय राशि का Post Dated Cheque (PDC) भी संलग्न होगा जो जिला मत्स्य कार्यालय में संधारित रहेगी। एजेंसी के द्वारा सामग्री आपूर्ति सम्पन्न करने के पश्चात् ही PDC (Post Dated Cheque)को भुनाया जा सकेगा। इसकी पूरी जवाबदेही संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी की होगी।

(घ) योजनान्तर्गत प्रयुक्त सामग्री उच्च गुणवत्तापूर्ण (ISO/BIS/ISI आदि मानक वाले)सामग्रियों का उपयोग किया जाएगा।

(iii)सब्सिडी भुगतान :–

(क) स्वलागत/बैंक ऋण से तालाब मात्स्यिकी हेतु उन्नत मत्स्य बीज उत्पादन योजनाओं के क्रियान्वयन में सब्सिडी की राशि दो बराबर किस्तों में दी जाएगी। चयनित लाभार्थी के द्वारा तालाब की तैयारी एवं वांछित आकार के मत्स्य बीज संचय कर लेने के उपरांत, उनके द्वारा कार्यालय में समर्पित दावा पत्र (वांछित कागजात सहित) तथा क्षेत्रीय प्रभारी/पदाधिकारी के अनुशंसा के आलोक में योजनान्तर्गत देय कुल सब्सिडी राशि की आधी राशि (50 प्रतिशत) भुगतेय होगी। शेष सब्सिडी की राशि लाभार्थी के द्वारा सामग्रियों के शेष अभिश्रव/प्रमाणक के साथ विधिवत दावा कार्यालय में समर्पित करने के पश्चात, क्षेत्रीय प्रभारी/कार्यालय द्वारा भौतिक जाँचोपरान्त प्रतिवेदन के आधार पर भुगतान किया जाएगा ताकि चालू वित्तीय वर्ष में ही राशि का व्यय हो सके। शेष सब्सिडी राशि का भुगतान इस शर्त पर की जायेगी कि लाभार्थी के द्वारा उन्नत मत्स्य बीज उत्पादन योजना से संबंधित मत्स्य बीज उत्पादन का अंतिम आंकड़ा तथा सभी वांछित कागजातों यथा सत्यापित पंजी, क्रय सामग्री का संक्षिप्त व्यय विवरणी जिला मत्स्य कार्यालय में समर्पित की जाएगी।

(ख) **ट्यूबवेल एवं पम्पसेट योजना** में सब्सिडी की राशि दो किस्तों (60% एवं 40%) में दी जाएगी। स्वलागत/बैंक ऋण से ट्यूबवेल एवं पम्पसेट (समरसेबुल सहित) अवयव में ट्यूबवेल के अधिष्ठापन होने पर लाभार्थी के द्वारा कार्यालय में समर्पित दावा पत्र तथा क्षेत्रीय प्रभारी/योजना प्रभारी के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर योजनान्तर्गत देय कुल अनुदान का 60% सब्सिडी प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी। ट्यूबवेल एवं पम्पसेट अवयव में अधिकतम 5 एच0पी0 पम्पसेट/समरसेबुल के अधिष्ठापन होने पर लाभार्थी के द्वारा शेष आवश्यक अभिश्रव/प्रमाणक लाभुक के द्वारा कार्यालय में समर्पित सब्सिडी दावा पत्र (फोटोग्राफ सहीत) के आलोक में स्थल जाँचोपरांत प्राप्त प्रतिवेदन, अधिष्ठापित घटक के साथ संयुक्त फोटोग्राफ आदि के समीक्षोपरान्त शेष 40% सब्सिडी राशि का भुगतान की जाएगी।

(ग) **तालाब मात्स्यिकी हेतु यांत्रिक एरेटर योजनान्तर्गत** स्वलागत/बैंक ऋण से **एरेटर के** अधिष्ठापन के पश्चात् लाभुक द्वारा एरेटर के अधिष्ठापन सहित कार्यों का फोटोग्राफ, अभिश्रव/प्रमाणक (जी0एस0टी0 सहित) एवं आवेदन के साथ कार्यालय में समर्पित दावा तथा क्षेत्रीय प्रभारी/योजना प्रभारी के स्थल निरीक्षण एवं सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर योजनान्तर्गत देय सब्सिडी राशि **एक मुश्त** में भुगतान की जाएगी। डीलर/आपूर्तिकर्त्ता/विक्रेता के माध्यम से जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा यांत्रिक एरेटर के उचित स्थान एवं Tax Invoice पर आवेदक का मत्स्य कृषक रजिस्ट्रेशन संख्या एवं आपूर्ति का वित्तीय वर्ष दर्ज करना आवश्यक होगा, जो अमिट हो एवं जाँच के लिए किसी भी समय पठनीय हो, ताकि एक ही एरेटर का उपयोग दोबारा न हो।

(च) योजनान्तर्गत सभी प्रकल्पों (I-III) में सब्सिडी का भुगतान उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदनोपरांत जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक द्वारा लाभार्थी के बैंक खाते में आर०टी०जी०एस०/एन०ई०एफ०टी०/डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

2576
01/6/26

(छ) योजना के तहत लाभुकों के द्वारा एक शपथ पत्र दी जाएगी, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख होगा कि योजनान्तर्गत प्रथम अथवा द्वितीय किस्त सब्सिडी की राशि प्राप्त करने के पश्चात् अगर लाभुक द्वारा कतिपय कारणों से योजना पूरी नहीं की जाती है तो इस परिस्थिति में लाभुक द्वारा प्राप्त सब्सिडी राशि वसूलनीय होगी अन्यथा राशि की वसूली हेतु उनके विरूद्ध नीलाम–पत्र वाद दायर की जाएगी। साथ ही उन्हे काली सूची में डाला जायेगा एवं उन्हें किसी भी अन्य विभागीय योजनाओं का लाभ देय नहीं होगा।

(v) उन्नत बीज उत्पादन/अधिष्ठापित बोरिंग एवं पम्पसेट वाले तालाब तथा कार्प हैचरी इनपुट सहायता पर पक्का बोर्ड लाभार्थी द्वारा लगाना अनिवार्य होगा। बोर्ड चार फीट खड़ा लोहे के एंगल पर 4 फीट X 3 फीट आकार के लोहे के चादर का होगा जिस पर पेंट से विवरणी अंकित होगा।

बोर्ड पर अंकित विवरणी का प्रारूप निम्न होगा :–

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) विभाग
मत्स्य निदेशालय, पटना

योजना का नाम एवं वर्ष–
योजना अवयव का नाम–
लाभुक का नाम एवं पता–
प्राक्वलित/लागत राशि–
सब्सिडी की राशि–
आच्छादित जलक्षेत्र आदि–
अधिष्ठापित यांत्रिक एरेटर पर–

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
(मत्स्य निदेशालय)
बिहार सरकार
द्वारा
आर्थिक सहायता से प्रदत्त।

से सम्बन्धित लोगो लगाना अनिवार्य होगा।

(vi) उपर्युक्त वर्णित योजनाओं हेतु उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र की अध्यक्षता में गठित समिति, लाभुकों के चयन, सब्सिडी भुगतान हेतु अनुशंसा एवं योजना के कार्यान्वयन में स्थानीय स्तर पर होने वाली कठिनाइयों के निराकरण के लिए मत्स्य निदेशालय को सुझाव समय–समय पर देगी जिसमें निम्न सदस्य होगें –

1. उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र – अध्यक्ष
2. जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी – सदस्य सचिव
3. मत्स्य प्रसार पदाधिकारी – सदस्य
4. कनीय अभियंता – सदस्य
5. मत्स्य विकास पदाधिकारी – सदस्य

अनुलग्नक–IV

(उन्नत मत्स्य बीज उत्पादन योजना)

Unit Area - 0.5 Acre
Target Fish seed size - 25 gm.& above
Expected Time - 18 to 20 weeks
Survival - 40% (up to target size)
Estimated Cost of Advance fish seed production schemes
(water area-0.5 Acre)

Sr.	Particulars	Quantity	Expected Cost
A. General pond preparation			
1.	Cost of minor repairing, deweeding, bottom cleaning, water filling, etc. @10000/ 0.5Acre		10000.00
2.	Cost of manuring & liming Manure (Cow dung) liming @7500/0.5 acre	2 ton 80 kg	7500.00
B.	**Stocking of seed**		
3.	Cost of early fry (fish seed) - Stocking @1.0 Lakh seed/0.5 acre @ Rs 200/thousand seed (including transportation)	1.0 lakh seed	20000.00
C.	**Feed & Feeding**		
4.	Cost of feeding feed requirement for 20 weeks rice bran/smash feed mineral mix/pelleted feed @Rs 40/kg	1000 kg.	40000.00
D.	**Disease prevention & other protective measures**		
5.	Cost of therapeutic & prophylaxis agent	L.S.	5000.00
6.	Cost of thread lining over pond for bird scaring	L.S.	9000.00
7.	Cost of periodical netting once in a fortnight	L.S.	5000.00
8.	Miscellaneous & unforeseen expenditure	L.S.	3500.00
	Grand Total		100000.00

(Rupees One Lakh only)

नोट :–उपर्युक्त वर्णित घटक/अवयव तथा उसका मूल्य सांकेतिक एवं सब्सिडी आकलन के लिए है। वास्तविक घटक/अवयव एव मूल्य में निर्धारित कुल राशि 1.00 लाख के अन्तर्गत परिवर्त्तन हो सकता है।

Production of seed: -

Expected production - 40000 Fish seed
Total expected wt. of fish seed - 800 kg.

Income: -

Expected income from seed @Rs 275/kg. - 220000.00

Net profit: - - (220000-100000) =120000.00
Say, 1.20 Lakh

Note- Additional income can be generated in the same pond either through culture of remaining/residual fish fingerlings to advance fingerling/yearlings or by rearing second crop of seed in the same pond.

2576
01/6/26

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक–V

यांत्रिक ऍरेटर का इकाई लागत की विवरणी

क्रं सं०	अवयव	अनुमानित राशि (लाख में)
1.	यांत्रिक एरेटर प्रति यूनिट {पैडल व्हील एरेटर, 4 पैडल का (2 एच०पी० क्षमता)}	40,000.00
2.	एरेटर का अधिष्ठापन, परिवहन व्यय एवं विधुत व्यय आदि सहित। L.S	10,000.00
	कुल :–	50,000.00

नोटः– उपर्युक्त अवयवार निर्धारित इकाई लागत अथवा वास्तवित मूल्य/खर्च दोनों में न्यूनत्तम तथा उक्त निर्धारित इकाई लागत राशि के अन्तर्गत सब्सिडी की भुगतेय की अनुमान्यता होगी।

सरकार के संयुक्त सचिव

2576
01/6/26

अनुलग्नक–VI

वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना के तहत ''मुख्यमंत्री तालाब मात्स्यिकी विकास योजना'' हेतु विभिन्न मात्स्यिकी विकास की योजनाओं से संबंधित अन्य वर्ग के लाभुकों के लिए जिलावार लक्ष्य की विवरणी।

क्र0	जिला	अन्य वर्ग के लाभुका–अनुदान 50 प्रतिशत					
		उन्नत मत्स्य बीज उत्पादन (यूनिट) (एक यूनिट=0.5 एकड़) (इकाई लागत 1.00 लाख / यूनिट)		ट्यूबवेल एवं पम्पसेट अधिष्ठापन (सं0) (इकाई लागत 1.20 लाख / सं0)		तालाब मात्स्यिकी हेतु यांत्रिक एरेटर की योजना (स0) (इकाई लागत 0.50 लाख / स0)	
		लक्ष्य (250 यूनिट)		लक्ष्य (200 यूनिट)		लक्ष्य (142 यूनिट)	
		भौतिक (सं0)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (सं0)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (सं0)	वित्तीय (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पटना	6	3.00000	7	4.20000	4	1.00000
2	भोजपुर	4	2.00000	3	1.80000	4	1.00000
3	बक्सर	4	2.00000	3	1.80000	2	0.50000
4	रोहतास	8	4.00000	4	2.40000	6	1.50000
5	कैमुर	6	3.00000	4	2.40000	1	0.25000
6	नालंदा	8	4.00000	7	4.20000	4	1.00000
7	गया	4	2.00000	6	3.60000	2	0.50000
8	जहानाबाद	4	2.00000	4	2.40000	5	1.25000
9	अरवल	4	2.00000	3	1.80000	2	0.50000
10	औरंगाबाद	6	3.00000	5	3.00000	2	0.50000
11	नवादा	6	3.00000	5	3.00000	2	0.50000
12	मुजफ्फरपुर	10	5.00000	8	4.80000	10	2.50000
13	वैशाली	8	4.00000	7	4.20000	2	0.50000
14	सीतामढ़ी	8	4.00000	6	3.60000	6	1.50000
15	पु० चम्पारण	10	5.00000	8	4.80000	10	2.50000
16	प० चम्पारण	10	5.00000	8	4.80000	4	1.00000
17	शिवहर	4	2.00000	3	1.80000	1	0.25000
18	सारण	6	3.00000	3	1.80000	1	0.25000
19	सिवान	6	3.00000	5	3.00000	10	2.50000
20	गोपालगंज	6	3.00000	6	3.60000	3	0.75000
21	भागलपुर	8	4.00000	6	3.60000	3	0.75000
22	बाँका	8	4.00000	6	3.60000	2	0.50000
23	मुंगेर	5	2.50000	4	2.40000	3	0.75000
24	लखीसराय	4	2.00000	3	1.80000	2	0.50000
25	शेखपुरा	4	2.00000	3	1.80000	2	0.50000
26	जमुई	6	3.00000	4	2.40000	4	1.00000
27	खगड़िया	6	3.00000	6	3.60000	3	0.75000
28	बेगूसराय	6	3.00000	5	3.00000	2	0.50000
29	सहरसा	6	3.00000	5	3.00000	6	1.50000
30	सुपौल	6	3.00000	4	2.40000	4	1.00000
31	मधेपूरा	6	3.00000	4	2.40000	4	1.00000
32	कटिहार	8	4.00000	7	4.20000	4	1.00000
33	पूर्णियां	6	3.00000	6	3.60000	1	0.25000
34	अररिया	6	3.00000	5	3.00000	2	0.50000
35	किशनगंज	6	3.00000	5	3.00000	2	0.50000
36	दरभंगा	12	6.00000	8	4.80000	4	1.00000
37	मधुबनी	12	6.00000	8	4.80000	8	2.00000
38	समस्तीपुर	7	3.50000	6	3.60000	5	1.25000
कुल योग		**250**	**125.00000**	**200**	**120.00000**	**142**	**35.50000**

नोट–जिलावार लक्ष्य का निर्धारण जिलों के मांग तथा गत वर्षो की उपलब्धि के आधार पर की गई है।

सरकार के संयुक्त सचिव

2576
01/6/26

अनुलग्नक–VII

वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना के तहत "मुख्यमंत्री तालाब मात्स्यिकी विकास योजना" हेतु विभिन्न मात्स्यिकी विकास की योजनाओं से संबंधित अति पिछड़ी जाति के लाभुकों के लिए जिलावार लक्ष्य की विवरणी।

क्र0	जिला	अति पिछड़ा वर्ग के लाभुक हेतु–अनुदान 70 प्रतिशत					
		उन्नत मत्स्य बीज उत्पादन (यूनिट) (एक यूनिट=0.5 एकड) (इकाई लागत 1.00 लाख / यूनिट)		ट्यूबवेल एवं पम्पसेट अधिष्ठापन (सं0) (इकाई लागत 1.20 लाख / स0)		तालाब मात्स्यिकी हेतु यांत्रिक एरेटर की योजना (सं0) (इकाई लागत 0.50 लाख / स0)	
		लक्ष्य (300 यूनिट)		लक्ष्य (400 यूनिट)		लक्ष्य (140 यूनिट)	
		भौतिक (सं0)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (सं0)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (सं0)	वित्तीय (लाख में)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	पटना	5	3.50000	7	5.88000	2	0.70000
2	भोजपुर	4	2.80000	5	4.20000	2	0.70000
3	बक्सर	4	2.80000	1	0.84000	2	0.70000
4	रोहतास	8	5.60000	10	8.40000	2	0.70000
5	कैमुर	6	4.20000	10	8.40000	2	0.70000
6	नालंदा	8	5.60000	10	8.40000	3	1.05000
7	गया	4	2.80000	5	4.20000	1	0.35000
8	जहानाबाद	4	2.80000	2	1.68000	2	0.70000
9	अरवल	4	2.80000	2	1.68000	2	0.70000
10	औरंगाबाद	6	4.20000	2	1.68000	2	0.70000
11	नवादा	4	2.80000	5	4.20000	2	0.70000
12	मुजफ्फरपुर	12	8.40000	30	25.20000	15	5.25000
13	वैशाली	11	7.70000	12	10.08000	2	0.70000
14	सीतामढ़ी	10	7.00000	15	12.60000	8	2.80000
15	पु० चम्पारण	20	14.00000	40	33.60000	12	4.20000
16	प० चम्पारण	12	8.40000	10	8.40000	2	0.70000
17	शिवहर	6	4.20000	5	4.20000	2	0.70000
18	सारण	8	5.60000	5	4.20000	2	0.70000
19	सिवान	8	5.60000	18	15.12000	6	2.10000
20	गोपालगंज	8	5.60000	10	8.40000	4	1.40000
21	भागलपुर	10	7.00000	6	5.04000	2	0.70000
22	बाँका	10	7.00000	20	16.80000	5	1.75000
23	मुंगेर	2	1.40000	2	1.68000	2	0.70000
24	लखीसराय	3	2.10000	5	4.20000	3	1.05000
25	शेखपुरा	4	2.80000	5	4.20000	5	1.75000
26	जमुई	8	5.60000	12	10.08000	2	0.70000
27	खगड़िया	8	5.60000	20	16.80000	3	1.05000
28	बेगूसराय	8	5.60000	3	2.52000	2	0.70000
29	सहरसा	8	5.60000	8	6.72000	8	2.80000
30	सुपौल	6	4.20000	8	6.72000	4	1.40000
31	मधेपूरा	4	2.80000	4	3.36000	3	1.05000
32	कटिहार	8	5.60000	15	12.60000	3	1.05000
33	पूर्णियां	10	7.00000	10	8.40000	1	0.35000
34	अररिया	6	4.20000	5	4.20000	3	1.05000
35	किशनगंज	6	4.20000	8	6.72000	2	0.70000
36	दरभंगा	16	11.20000	20	16.80000	5	1.75000
37	मधुबनी	16	11.20000	25	21.00000	8	2.80000
38	समस्तीपुर	15	10.50000	20	16.80000	4	1.40000
कुल योग		**300**	**210.00000**	**400**	**336.00000**	**140**	**49.00000**

नोट–जिलावार लक्ष्य का निर्धारण जिलों के मांग तथा गत वर्षो की उपलब्धि के आधार पर की गई है।

2576
01/6/26

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक–VIII

वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना के तहत "मुख्यमंत्री तालाब मात्स्यिकी विकास योजना" हेतु विभिन्न मात्स्यिकी विकास की योजनाओं से संबंधित अनुसूचित जाति के लाभुकों के लिए जिलावार लक्ष्य की विवरणी।

क्र0	जिला	अनुसूचित जाति के लाभुकों के लिए–अनुदान 70 प्रतिशत					
		उन्नत मत्स्य बीज उत्पादन (यूनिट) (एक यूनिट=0.5 एकड़) (इकाई लागत 1.00 लाख / यूनिट)		ट्यूबवेल एवं पम्पसेट अधिष्ठापन (सं0) (इकाई लागत 1.20 लाख / सं0)		तालाब मात्स्यिकी हेतु यांत्रिक एरेटर की योजना (सं0) (इकाई लागत 0.50 लाख / सं0)	
		लक्ष्य (112 यूनिट)		लक्ष्य (78 यूनिट)		लक्ष्य (19 यूनिट)	
		भौतिक (सं0)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (सं0)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (सं0)	वित्तीय (लाख में)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	पटना	2	1.40000	2	1.68000		
2	भोजपुर	3	2.10000	2	1.68000		
3	बक्सर	2	1.40000	0	0.00000		
4	रोहतास	3	2.10000	2	1.68000	1	0.35000
5	कैमुर	1	0.70000	2	1.68000		
6	नालंदा	3	2.10000	2	1.68000	1	0.35000
7	गया	4	2.80000	2	1.68000		
8	जहानाबाद	2	1.40000	2	1.68000		
9	अरवल	2	1.40000	2	1.68000		
10	औरंगाबाद	3	2.10000	2	1.68000		
11	नवादा	3	2.10000	2	1.68000	1	0.35000
12	मुजफ्फरपुर	5	3.50000	5	4.20000	1	0.35000
13	वैशाली	3	2.10000	2	1.68000	1	0.35000
14	सीतामढ़ी	3	2.10000	2	1.68000	1	0.35000
15	पु० चम्पारण	4	2.80000	2	1.68000	1	0.35000
16	प० चम्पारण	5	3.50000	2	1.68000	1	0.35000
17	शिवहर	2	1.40000	2	1.68000		
18	सारण	4	2.80000	0	0.00000		
19	सिवान	3	2.10000	2	1.68000	1	0.35000
20	गोपालगंज	3	2.10000	2	1.68000		
21	भागलपुर	4	2.80000	2	1.68000		
22	बाँका	3	2.10000	2	1.68000	1	0.35000
23	मुंगेर	1	0.70000	1	0.84000		
24	लखीसराय	3	2.10000	2	1.68000		
25	शेखपुरा	3	2.10000	2	1.68000	1	0.35000
26	जमुई	3	2.10000	2	1.68000	1	0.35000
27	खगड़िया	3	2.10000	2	1.68000	1	0.35000
28	बेगूसराय	2	1.40000	1	0.84000		
29	सहरसा	3	2.10000	2	1.68000	1	0.35000
30	सुपौल	2	1.40000	2	1.68000	1	0.35000
31	मधेपूरा	2	1.40000	2	1.68000	1	0.35000
32	कटिहार	3	2.10000	2	1.68000		
33	पूर्णियां	3	2.10000	2	1.68000		
34	अररिया	2	1.40000	2	1.68000	1	0.35000
35	किशनगंज	3	2.10000	2	1.68000	1	0.35000
36	दरभंगा	4	2.80000	2	1.68000		
37	मधुबनी	4	2.80000	6	5.04000	1	0.35000
38	समस्तीपुर	4	2.80000	3	2.52000		
	कुल योग	**112**	**78.40000**	**78**	**65.52000**	**19**	**6.65000**

नोट–जिलावार लक्ष्य का निर्धारण जिलों के मांग तथा गत वर्षो की उपलब्धि के आधार पर की गई है।

2576
01/6/26

सरकार के संयुक्त सचिव

(300)

अनुलग्नक–IX

वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना के तहत ''मुख्यमंत्री तालाब मात्स्यिकी विकास योजना'' हेतु विभिन्न मात्स्यिकी विकास की योजनाओं से संबंधित अनुसूचित जनजाति के लाभुकों के लिए जिलावार लक्ष्य की विवरणी।

क्र0	जिला	**अनुसूचित जनजाति के लाभुकों के लिए–अनुदान 70 प्रतिशत**					
		उन्नत मत्स्य बीज उत्पादन (यूनिट) (एक यूनिट=0.5 एकड़) (इकाई लागत 1.00 लाख / यूनिट)		ट्यूबवेल एवं पम्पसेट अधिष्ठापन (सं0) (इकाई लागत 1.20 लाख / सं0)		तालाब मात्स्यिकी हेतु यांत्रिक एरेटर की योजना (सं0) (इकाई लागत 0.50 लाख / सं0)	
		लक्ष्य (27 यूनिट)		लक्ष्य (27 यूनिट)		लक्ष्य (9 यूनिट)	
		भौतिक (सं0)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (सं0)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (सं0)	वित्तीय (लाख में)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	बांका	5	3.50000	2	1.68000	1	0.35000
2	भागलपुर	2	1.40000	1	0.84000		
3	जमुई	5	3.50000	7	5.88000	2	0.70000
4	कैमूर	0	0.00000	3	2.52000		
5	कटिहार	2	1.40000	2	1.68000	1	0.35000
6	किशनगंज	2	1.40000	2	1.68000		
7	मुंगेर	1	0.70000	0	0.00000		
8	पूर्णियाँ	2	1.40000	2	1.68000	1	0.35000
9	रोहतास	2	1.40000	2	1.68000	1	0.35000
10	सीवान	2	1.40000	3	2.52000	1	0.35000
11	पश्चिमी चम्पारण	4	2.80000	3	2.52000	2	0.70000
कुल योग		**27**	**18.90000**	**27**	**22.68000**	**9**	**3.15000**

नोट–जिलावार लक्ष्य का निर्धारण जिलों के मांग तथा गत वर्षो की उपलब्धि के आधार पर की गई है।

सरकार के संयुक्त सचिव

2576
01/6/26